Newsletter
Setu

Dedicated to Child Protection
by Centre for Child Protection (CCP)

Setember 2020 • Edition 20

Child Begging

From The Director's Desk

The Centre for Child Protection through a regular publication 'SETU', tries to make readers aware of different aspects of children's lives in each of its editions. In this edition the social problem of begging by children is the focal point. Begging by children or forcing them in to it is a shameful act for the entire mankind. In ancient times begging was a profession, as extremely poor families who were absolutely deprived of resources and begging by them was synonym to living on dependency. The religious institutions associated begging with the process of donation and efforts for liberation. This religious and cultural legitimacy has contributed significantly in keeping begging out of crime and divergence domain mostly.

The phenomenon of begging by children (under the age of 18) is related to a profession arising out of absolute poverty, while it has also become a profession run by organized criminals. These organized criminals train the children for begging by kidnapping those who are victim of migration, natural and social calamities or crimes, catching fugitive and refugee children, luring physically and mentally weak children. By behaving inhumanly with these children, they mould their bodies in such a way that it generates a sense of sympathy and compassion. And then these children are left to begging in various religious places, tourist spots, residential areas, crossroads of dense traffic roads, bus stands, railway stations and other public places. These organized criminals keep whatever these children earn though begging and exploit these children in every possible way.

Begging or forcing these children to begging is actually like snatching away their childhood forever. Begging is, in a way associated with child labour, rape and violence against children. This phenomenon is prohibited under child right, human right and fundamental rights of the children. None of the state, society and communities can be allowed to adopt a sense of disregard and disrespect for the act of begging, otherwise we are all sensitive, the logic of this comes under serious scrutiny and we all are directly or indirectly responsible for continuation of this phenomenon.

It is a constant effort of the 'Centre for Child Protection' , that childhood should be liberated not only from the inhuman culture of begging phenomenon through joint efforts with police, civil administration and civil society, but also to ensure these children are rehabilitated properly. The present issue is an attempt to highlight various aspects of begging by children.

Rajeev Sharma (IPS)
Director, Centre for Child Protection

Child Begging

Whether it is a city or rural pockets, there is a substantial number of children loosing their childhood as a result of poverty and lack of resources. Number of them are run-away or orphans forced to be deprived of a joyful childhood. Others who are trafficked, also used for the purpose of begging, among others. Such children are never enrolled in schools and remain illiterate for the rest of their lives. They earn their livelihood merely be begging which seems the only resort to them. Such children may easily be seen at different traffic signals, railway stations, bus stands, tourist places, near malls, restaurants, etc. Those who manage to get some money, also start to sell balloons, toys, car accessories, eatables, water bottles, etc at places with pedestrian flow. The amount earned by them, most of the time, does not even suffice for their daily meals and hence, is their struggle. Many of such children may very commonly be seen begging on the roads with their siblings and parents. Since, they barely survive with what they manage to earn or collect, can never think of getting educated. The children who keep wandering on the roads, also get victimised of the brutalities by people in general and even potential targets for sexual exploitation as well.

Children continue to be vulnerable because of factors like urban poverty, urbanization, rapid increase in population, declining employment opportunities, etc. These are some of the general prime causes. However, in the current time, CoVID-19 has further worsend the lives of such vulnerable children. There is visible pressure on poor due to sudden and forced migration which has adversely impacted their job opportunities. As the elders of the families struggle to sustain their livelihood, this is likely to put extra pressure on the children to lookout for work and earn. Thus,it should not come as a shock if there is increase in the visual presence of child beggers as they may notbe left with any other choice than to beg.

Root Causes of Begging Among Children

The causes of begging among children are varied as they do so in different circumstances. But the most commonly prevalant are the following [1]:

- **Poverty** : This is one of the prime causes of begging among children. In the absence of resources to sustain themselves, the child get into this ill act of begging. Poor people who are not educated and have no means of raising their children and to meet the expenses of the bare basic needs, get rtheir children into begging with them. The entire families beggging at the traffic signals and other common places is the most common sight.

[1] https://www.slideshare.net/HAQCRCIndia/begging-for-change-research-findings-and-recommendations-on-forced-child-begging-in-albaniagreece-india-and-senegal

- **Absence of access to education** : In their efforts to meet the basic requirements, children get deprived of educational facilities which are free of cost. Lack of knowledge and awareness restricts them of getting a brighter future. Even their parents are reluctant to get their children enrolled in educational activities as they loose an economic resource. This a major factor pushing the children towards vulnerability and exploitation, further deepening them into poverty in the years to come.
- **Traditional practices** : Mostly children aur brought in the act of begging as a result of traditional practices entrenched in the society. The generations get into begging as they have been doing it for years. For them, it is the prime means of meeting their basic needs of food and clothing. This is most prevelant in the nomads who do not have a permanent place of stay.
- **Child abuse & neglect within home** : Children who witness exploitation in home in the form of physical & verbal abuse and neclect, run from home. They either start begging for themselves or get trafficked and made to beg by the traffickers. Trafficked children in such circumstances are also prone to sexual abuse by the traffickers. The children escaped from abusive domestic environments, land up in more troubled situations because of forced begging.
- **Migration** : Migration is also one of the factors responsible for begging in children. Alone children (mostly run away) and those who are with their families, migrate to other places in search of work. In the absence of work, they start begging as a source of financial support for their daily expenditure. The children in these kind of situations are forced to live a deprived childhood.

Begging Nexus and Religious Beliefs

Many of the palms that we see begging around us on the roads each day, have a hand behind it. The beggar mafia is growing as a huge industry and they make sure to leave no evidences behind. The mafias make children vulnerable up to an extent that they are eventually mercied upon by people at first glance itself. The children are intentionally and brutally injured sometimes so as to gain more sympathy and thus, money. It is a harsh truth that children who get more money, are often those who are disabled in some or the other manner.

A girl child dressed up as Lord Shiva and blessing visitors

The child begging business runs effectively and in an organised manner. Children are taught various ways of begging, mannerism, body language, etc. so that their poverty looks real and fetches maximum monetary gains. The begging mafias snatch from the children, their very basic right to education. As many as thousands of child beggars live on the streets and live a deprived life, away from their home and family. On the contrary, people who ruin the lives of children live a comfortable life.

Asking for alms out of religious beliefs is another major form of begging. Thousands of children are indulged into it, knowingly or unknowingly. In several religious occasions such as jagratas, mata ki chowki, religious melas, etc. children are commonly seen dressed up in different forms of Gods. Out of the blind faith and beliefs of people, these children earn huge money, specially at the time of festivals or in the months of year wherein, people donate various things to get the blessings of the deities. This unknown or unrealized form of begging, too has serious implications. Children, their families (in case it is a family occupation as a result of poverty and absence of any medium of income generation) and the traffickers/ begging mafias wait for such events and religions months of the year. Since they look up to this and look no beyond this source of earning, it deprives children from their right to live a quality life, to get quality education, eat healthy, among others.

Although, begging is considered to be a crime but it is unfortunate that the legal provisions to curb this menace does not seem to be enough. Hence, it becomes need of the hour for the society people, NGOs, other organizations working for children, etc. to be active and take curative measures.

Laws/ Regulations Pertaining to Child Begging

Though begging is a crime at various places across the country, there is an absence of laws in India that criminalise begging, in particular. However, the Prevention of Begging Act, 1959 is adopted as derivative by some States in the country. This is because of absence of any central law pertaining to child begging. In most of the states, either the Bombay Prevention of Begging Act, 1959 has been adopted or the states have modelled their laws on the basis of the same.

Even in the absence of specific laws dedicated to child begging, there are certain legal provosions that protect children from getting into the act of beggary. One of such provisions is the section 76 of the Juvenile Justice (Care & Protection) of Children Act, 2015. As per this, employment of children for the purpose of begging is a punishable offence of imprisonment for a term of up to five years or fine of Rs. 1 Lakh[2] .

Another legal priovision which is Section 144 of the Indian Railway Act, 1989. This prohibits children from begging and hawking. Without a Government license, there is a restriction on selling anything in or on any part of the Railway and provisions for an imprisonment of upto one year or monetary fine[3] .

Section 268 of the Indian Penal Code also provisions for begging as an act that might be a cause of annoyance or injury to the people in general. Any person who is begging, if causes injury, annoyance, any kind of inconvenience, inappropriate behaviour, is guilty of public nuisance. In situations where these kind of circumstances arise, this law may be applied. However, this is not specifically applicable to the child beggars.

[2]https://www.streetchildren.org/legal-atlas/map/india/status-offences/is-it-illegal-for-children-to-beg/#:~:text=Law%20and%20Policy%20on%20Child%20Beggars&text=Section%2076%20of%20the%20Juvenile,a%20fine%20of%20100%2C000%20rupees.

[3]https://www.streetchildren.org/legal-atlas/map/india/status-offences/is-it-illegal-for-children-to-beg/#:~:text=Law%20and%20Policy%20on%20Child%20Beggars&text=Section%2076%20of%20the%20Juvenile,a%20fine%20of%20100%2C000%20rupees.

Child begging : A Curse

कप्तान सिंह

Child begging is one of the burning issue of our country today. “Child begging is the personification of negative, criminal mindset of our system, society and compassion which on one hand is the victim of economic progress and on the other hand a reason for causing the instance of injustice and child welfare. There are many socio-economic factors that are promoting child begging in the country. Child begging is a stigma on our country due to poverty, unemployment, illiteracy, high population and becoming an orphan at young age. Due to reasons of extreme poverty, low wages, backwardness and inconsistency in agriculture, poor parents leave their children in open to earn a living, of which many fall prey to the hands of anti-social elements. According to the National Crime Records Bureau, every year about 48000 children go missing in the country, most of them are pushed into child begging in the crime world or by committing disgusting acts like lynching. To prevent this social evil of the country, there is a need for a special law against begging mafias and the Government should run special awareness campaign in the community to promote the theme of “Educate the child and save childhood”.

“If we cannot give back childhood, then we have no right to snatch it”

Finally, voluntary organizations can also play an important role in reducing this social inequality supported by various laws.

Kaptan Singh
Police Inspector
Rajasthan Police Academy
Jaipur

Case Study 1

Rakesh Kumar aging 11 years was found begging near Pt. Naval kishore chauraha Traffic Signal, Jaipur. While talking to him, he shared that he begs for money by selling water bottles. Be begs by his own choice and was never forced by anyone. He also shared that he stays with his parents and three sisters and most of the nights they sleep on the streets. When asked about his permanent address, he told that their family comes from Karauli district in Rajasthan. Rakesh earns Rs.200-250 a day and this is the amount earned by selling the water bottles and money received from begging. He informed that his father

is unemployed and does nothing while his mother and sisters are also into begging. Begging was hard for him, but since he has to earn for the family, he goes out for it irrespective of extreme weather conditions. He never had any formal education. Neither him, nor any of his sisters have ever attended school. He is happy that he gets to eat his daily food and doesn't sleep empty stomach but sleeping on the street is a big challenge in extremely hot and cold weather and he gets insect bites too. When he was asked where all the money goes, he shared that all his earnings are handed over to his mother and he does not keep even a single penny with him nor does he question his mother about spending the money.

Case Study 2

Farhan was found begging near Pink square Mall. When asked about his age, he told that he was 12 years of age. Farhan has studied in school till 4th standard but he dropped out as neither he was interested in studying nor could his family afford his education. Farhan told that they hail from Ahmedabad, Gujarat. When he was asked about his present place of accommodation, he informed that his family lives on road and they don't have a home. In a day he begs around Rs. 50-60 and hands over all the money to his parents. He also mentioned that he was caught for begging near Naval kishore chauraha, Jaipur and was released after his parents came to pick him up. He shared that begging is very hard especially in summers and even sleeping on the streets is very difficult. The rainy season gets extremely difficult for them as they don't have any place of shelter.

Indu Rani Singh
Prayas JAC Society, jaipur

Activities of the Quarter

Unveiling Ceremony of IEC Material on Child Labour

The centre has rolled out informative, educational and awareness generation material on Child Labour. The unveiling ceremony of the same was done on 14th September, 2020, at Centre for Child Protection, Rajasthan Police Academy, Jaipur. Hon'ble Director-RPA, Shri Rajeev Sharma (IPS), Shri Neeraj K. Pawan (IAS), Secretary Labour, Shri Bipin Kumar Pandey (IPS), IG Human Rights, Shri Prateek Jhajhariya (IAS), Commissioner Labour, Shri Ravi Prakash, Program Advisor-Freedom Fund, graced the occasion with their esteemed presence and unveiled the IEC material. Dialogues were shared on how the vulnerabilities of children can be reduced and be ended, gradually and prevent them from falling into the trap of child labour.

Launch of CoVID Corner Button on CCP Website

Keeping in view the current corona time, a button has been launched on the CCP website. It contains all relevant information about the corona virus pandemic, safety measures and the related IEC material. The video messages of the Shri Rajeev Sharma, Director- Centre for Child Protection, Rajasthan Police Academy and Shri Neeraj K. Pawan, Secretary Labour, Jaipur are also there educating on the issues related to children. The guidelines released by the Government and resources related to child protection are also there. These resources and awareness generation material has been made available for the ease of people in general and child protection functionaries.

Webinar on 'Children's Rights and CoVID-19 Pandemic'

A webinar on 'Children's Rights and CoVID-19 Pandemic' was conducted in the joint collaboration of Centre for Child Protection, Jaipur, Vardhman Mahaveer Open University, Kota and UNICEF on the occasion of International Literacy Day. The chief guest was Smt. Sangeeta Beniwal, Chairperson- RSCPCR and the Guest of Honour was Shri Rajeev Sharma (IPS), Director Centre for Child Protection, Jaipur. Key resource persons in the webinar were Ms. Sutapa Sanyal, Former DGP, Uttar Pradesh, Dr. Helen R. Sekar, Senior Faculty, V.V. Giri National Labour Institute, New Delhi and Mr. Sanjay Nirala, Child Protection Specialist, UNICEF-Rajasthan. Dr. Rajiv Gupta, Senior Consultant, Centre for Child Protection, Jaipur, gave an introductory note in the webinar. He summarized all the sessions and expressed the urgency to cater to the rights of children for their overall welfare and development.

Independence Day Celebrations

On 15th August, 2020, was celebrated India's 74th Independence Day. The Honorable Director- RPA Shri Rajeev Sharma (IPS), ADG Police, hoisted the flag at Rajasthan Police Academy, Jaipur. All the staffs of Rajasthan Police Academy, Centre for Child Protection, and Centre for Peace & Conflict Studies were present in the flag hoisting and celebration.

Training of counsellors on 'Counselling of Children Rescued from Child Labour'

A meeting cum training was conducted with the panel of counsellors formed by CCP, on 13th August, 2020 at Shastri Nagar Child Friendly Police Station, Jaipur. The counsellors were trained on the methods of counselling, ways to deal with children rescued from child labour, procedures to follow, rehabilitative procedures, etc. the overall objective was to make counselling effective for the overall benefit of children. The counsellors also shared their experiences of dealing with children, counselling them and initiatives taken by them in the best interest of the rescued children. Members of CCP team, Freedom Fund team and about ten counsellors participated in the training.

Twitter: https://twitter.com/CCP_jaipur Facebook: https://www.facebook.com/Cenreforchildprotection/

'SETU' Advisory Board

Dr. Rajiv Gupta
Former Professor,
University of Rajasthan, Jaipur &
Senior Consultant - CCP,
Chairperson, SETU Advisory Board

Dr. Sanjay Nirala
Child Protection Specialist, UNICEF

Dr. Manju Singh
Head, Deptt. of Sociology,
Banasthali University

Mr. Radhakant Saxena
IG Prisons (Retd.).

Editor
Ms. Aditi Vyas
Consultant-Research &
Documentation, CCP Jaipur

Contribution & Support
CCP Team

We encourage readers to do a short course in Child Protection to enhance your understanding on child protection issues.
To know more about CCP and the courses offered by the centre, please visit our website:
http://www.centreforchildprotection.org
Feel free to contact us at: +91 8619672924/0141-2300758
We invite articles, case studies, success stories, suggestions, etc. from the readers on child protection related issues. Please send your contributions to: writetoccpjaipur@gmail.com

Premier#9783855551

न्यूज़ लेटर सेतु

सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा बाल संरक्षण को समर्पित

सितम्बर – 2020 • अंक : 20

unicef for every child | Centre for Child Protection

बाल भिक्षा (चाईल्ड बैगिंग)

निदेशक की कलम से ...

सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन का नियमित प्रकाशन 'सेतु' अपने प्रत्येक अंक में बच्चों के जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति पाठकों को जागरूक करने का प्रयास करता है। इस अंक में बच्चों द्वारा भीख मांगने की सामाजिक समस्या को केंद्र में रखा गया है। बच्चों द्वारा भीख माँगना अथवा उन्हें भीख मांगने के लिए बाध्य करना सम्पूर्ण मानवीय परिवेश के लिए एक शर्मनाक घटना है। प्राचीन काल में भीख माँगना एक व्यवसाय समान था क्योंकि नितांत गरीब परिवार जो पूरी तरह साधन विहीन थे और उनके द्वारा भीख मांग कर जीवन यापन आश्रितता का पर्याय था। धर्म संस्था ने भीख देने को दान की प्रक्रिया एवं मुक्ति के प्रयास से सम्बद्ध कर दिया। धार्मिक एवं सांस्कृतिक वैधता के कारण भीख मांगने व भीख देने को आमतौर पर अपराध व विचलन के दायरे से बाहर रखा जाता रहा है।

बच्चों (18 वर्ष से कम आयु) के द्वारा भीख मांगने की प्रघटना जहाँ एक तरफ पूर्ण निर्धनता से उत्पन्न व्यवसाय (जो वंशानुगत स्वरुप बन गया है) से सम्बद्ध है वहीं यह संगठित अपराधियों द्वारा संचालित एक पेशा भी बन गया है। बच्चों का अपरहण कर, भागे हुए बच्चों को पकड़ कर, शारीरिक रूप से कमज़ोर एवं मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों को लालच देकर तथा प्रवासन, प्राकृतिक एवं सामाजिक विपत्ति अथवा अपराध के शिकार बच्चों को ये संगठित अपराधी भीख मांगने का प्रशिक्षण देते हैं। इन बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार कर उनका शरीर ऐसा कर देते हैं जो सहानुभूति एवं दया का भाव उत्पन्न करें और फिर इन बच्चों को भीख मांगने के लिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, आवासीय क्षेत्रों, घने यातायात वाली सड़कों के चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर छोड़ दिया जाता है। भीख में इन बच्चों को जो भी प्राप्त होता है उसे यह संगठित अपराधी अपने पास रख लेते है। इन बच्चों का ये संगठित अपराधी हर प्रकार का शोषण करते हैं।

भीख माँगना या भीख मांगने को बाध्य करना असल में बचपन को ऐसे बच्चों से सदैव के लिए छीनना है। भीख माँगना एक दृष्टि से बालश्रम, बलातश्रम एवं बच्चों के विरुद्ध हिंसा का समन्यव है। यह बाल अधिकार, मानवाधिकार एवं मूलभूत अधिकारों का निषेध है। राज्य, समाज एवं समुदायों में से किसी को भी यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वे भीख मांगने की प्रवत्ति के प्रति उपेक्षा का भाव अपनाएं अन्यथा हम सब संवेदनशील हैं, का तर्क गंभीर सवालों के घेरे में आता है और हम सब को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस प्रघटना की निरंतरता हेतु ज़िम्मेदार बना देता है।

'सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन' का यह लगातार प्रयास है कि पुलिस, नागरिक प्रशासन एवं नागरिकीय समाज के साथ संयुक्त प्रयास कर जयपुर को बच्चों के द्वारा भीख मांगने की अमानवीय, संस्कृति एवं कानून विरोधी प्रघटना से न केवल मुक्त कराया जाए अपितु इन बच्चों का पुनर्वास किया जाए ताकि 'बचपन' का सुखद एहसास कर सकें। प्रस्तुत अंक बच्चों के भीख मांगने की घटना के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने का प्रयास है।

राजीव शर्मा (आईपीएस)
निदेशक, सेंटर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन

बाल भिक्षा (चाइल्ड बैगिंग)

चाहे शहर हो या ग्रामीण इलाके, आपको काफी तादाद में ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो संसाधनों की कमी और गरीबी के कारण अपना बचपन खो रहे हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जो या तो अपने घर से, भाग आये हैं या फिर अनाथ हैं और एक खुशहाल बचपन से वंचित होने के लिए मजबूर हैं। या फिर वो हैं, जिन्हें तस्करी करके लाया गया है, और उनसे जबरन भीख मंगवाई जाती है। ऐसे बच्चों का कभी स्कूलों में दाखिला नहीं होता है और वे जीवन भर अनपढ़ रहते हैं। ये केवल भीख माँगकर अपनी जीविका चलाते हैं, क्योंकि इनके पास भीख माँगने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। ऐसे बच्चे आपको विभिन्न ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, पर्यटक स्थलों, मॉल, रेस्तरां आदि के आसपास आसानी से नजर आ जाएंगे। जो बच्चे कुछ पैसों का प्रबंध करने में कामयाब हो जाते हैं, वे गुब्बारे, खिलौने, कार का सामान, खाने–पीने की चीजें, पानी की बोतलें आदि को उन स्थानों पर बेचने लगते हैं जहाँ लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है। कई बार तो वह इतने पैसे भी नहीं कमा पाते हैं कि एक वक्त का खाना खा सकें, और यही उनका संघर्ष होता है। ऐसे कई बच्चों को आमतौर पर अपने भाई–बहनों और माता–पिता के साथ सड़कों पर भीख मांगते देखा जा सकता है। चूंकि, वे जो कमाते हैं या इकट्ठा कर पाते हैं उससे मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं, इसलिए पढाई करने के बारे में वह सोच भी नहीं सकते हैं। जो बच्चे सड़कों पर भटकते रहते हैं, वे सामान्य रूप से लोगों की बेरहमी का शिकार भी हो जाते हैं और यहां तक कि वह यौन शोषण के संभावित लक्ष्य भी होते हैं।

शहरी गरीबी, शहरीकरण, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, रोजगार के अवसरों में गिरावट आदि जैसे कारकों के कारण बच्चे कमजोर (अतिसंवेदनशील) बने रहते हैं। यह कुछ सामान्य प्रमुख कारण हैं। हालाँकि, वर्तमान समय में, कोविड–19 ने ऐसे कमजोर बच्चों के जीवन को और भी भयानक बना दिया है। अचानक और जबरन पलायन के कारण गरीबों पर दबाव साफ नजर आता है जिसने उनके नौकरी के अवसरों पर बुरा प्रभाव डाला है। जैसा कि परिवारों के बड़े अपनी जीविका को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इससे बच्चों पर काम और कमाई के लिए अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना पैदा हुई है। अगर बड़ी तादाद में बाल भिखारी (चाइल्ड बैगर्स) नजर आते हैं तो आपको हैरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके पास भीख माँगने के अलावा कोई और चारा नहीं है।

बच्चों के भीख मांगने के मूल कारण

बच्चों द्वारा भीख मांगने के अलग–अलग कारण हो सकते हैं क्योंकि वे अलग अलग हालातों में ऐसा करते हैं। लेकिन सबसे अधिक व्याप्त कारण निम्नलिखित हैं :[1]

- **गरीबी:** यह बच्चों के भीख मांगने के प्रमुख कारणों में से एक है। खुद को जीवित रखने के लिए संसाधनों के अभाव में, बच्चा भीख मांगने जैसे बुरे काम में लग जाता है। गरीब लोग जो पढ़े–लिखे नहीं होते हैं और जिनके पास अपने बच्चों की परवरिश करने और अपनी बुनियादी जरूरतों के खर्चों को पूरा करने के लिए का कोई साधन नहीं होता है, बच्चों को अपने साथ भीख मांगने में लगा लेते हैं। ऐसे पूरे परिवार आपको ट्रैफिक सिग्नल और अन्य आम स्थानों पर भीख मांगते दिख जाएंगे।

[1]https://www.slideshare.net/HAQCRCIndia/begging-for-change-research-findings-and-recommendations-on-forced-child-begging-in-albaniagreece-india-and-senegal

- **शिक्षा तक पहुंच का न होना:** बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के अपने प्रयासों में, बच्चे शैक्षिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, जो कि मुफ्त हैं। ज्ञान और जागरूकता की कमी उन्हें एक अच्छा भविष्य प्राप्त करने से रोक देती है। यहां तक कि उनके माता–पिता भी अपने बच्चों को पढाना नहीं चाहते हैं क्योंकि अगर वह ऐसा करेंगे तो पैसा कमाने का एक जरिया गँवा देंगे। यह एक मुख्य कारक है जो बच्चों को अतिसंवेदनशीलता और शोषण की ओर धकेलता है, और उनकी आगे की जिंदगी को गरीबी में और गहरा झोंक देता है।
- **पारंपरिक प्रथाएं:** समाज में व्याप्त पारंपरिक प्रथाओं के परिणामस्वरूप ज्यादातर बच्चों को भीख मांगने के काम में लगा दिया जाता है। पूरी पीढ़ियां भीख मांगती हैं, क्योंकि वह सालों से ऐसा करती आ रही होती हैं। उनके लिए, यह भोजन और कपड़ों की उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का प्रमुख साधन होता है। यह प्रथाएं खानाबदोशों में सबसे अधिक प्रचलित हैं, जिनके पास रहने की कोई स्थायी जगह नहीं होती है।
- **घर में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार (चाइल्ड एब्यूज) और उनकी उपेक्षा:** वे बच्चे जो घर में शारीरिक और मौखिक शोषण और उपेक्षा झेलते हैं, घर से भाग जाते हैं। वे या तो जीवित रहने के लिए भीख मांगना शुरू कर देते हैं या फिर तस्करों के हाथ लग जाते हैं जो उनसे भीख मंगवाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में तस्करी करके लाए जाने वाले बच्चे तस्करों द्वारा यौन शोषण का भी शिकार होते हैं। अपमानजनक घरेलू वातावरण से बच कर आए बच्चों से जबरन भीख मंगवाई जाती है, जिसके कारण वे और अधिक खराब स्थितियों में फँस जाते हैं।
- **प्रवासन (माइग्रेशन):** प्रवासन भी बच्चों के भीख मांगने के जिम्मेदार कारकों में से एक है। अकेले बच्चे (ज्यादातर जो घर से भाग आते हैं) और जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, वे काम की तलाश में अन्य स्थानों पर जाते हैं। काम ना मिलने पर, वो अपने रोजाना के खर्च के लिए वित्तीय सहायता के स्रोत के रूप में भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इस तरह की परिस्थितियों में बच्चे वंचित बचपन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

भिखारी संबंध/कड़ी (नैक्सस) और धार्मिक मान्यताएं

कई बच्चे जिन्हें हम हर दिन सड़कों पर अपने आस–पास भीख माँगते देखते हैं, उनके पीछे किसी का हाथ होता है। भिखारी माफिया एक विशाल उद्योग के रूप में बढ़ रहा है और यह अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं। माफिया बच्चों को इस हद तक कमजोर बना देते हैं कि पहली नज़र में ही लोगों को उन पर दया आ जाए। बच्चों को जानबूझकर और निर्दयता से जख्मी किया जाता है ताकि वे लोगों की अधिक सहानुभूति प्राप्त कर सकें और इस प्रकार, अधिक पैसा कमा कर दे सकें। यह एक कठोर सत्य है कि जिन बच्चों को अधिक पैसा मिलता है, वे अक्सर किसी न किसी रूप में विकलांग होते हैं।

बाल भिक्षा (चाइल्ड बैगिंग) का व्यवसाय प्रभावी एवं व्यवस्थित है। बच्चों को भीख मांगने, लोगों से व्यवहार करने, शारीरिक भाषा आदि के विभिन्न तरीके सिखाए जाते हैं ताकि उनकी गरीबी असली लगे और वे अधिकतम पैसा कमा कर दे सकें। भिखारी माफिया बच्चों से उनका बहुत बुनियादी शिक्षा का अधिकार छीन लेते हैं। हजारों की संख्या में बाल भिखारी (चाइल्ड बैगर) सड़कों पर रहते हैं और अपने घर और परिवार से दूर वंचित जीवन जीते हैं। इसके उलट, बच्चों का जीवन बर्बाद करने वाले लोग आरामदायक जीवन जीते हैं।

भगवान शिव का रूप धारण किये हुए और दर्शनार्थियों को आशीर्वाद देती एक बालिका

धार्मिक मान्यताओं के कारणों से दान लेना भीख माँगने का एक और प्रमुख तरीका है। जाने–अनजाने में, हजारों बच्चे इसमें लिप्त हो जाते हैं। कई धार्मिक अवसरों जैसे कि जगरातों, माता की चौकी, धार्मिक मेलों आदि में, बच्चों को आमतौर पर भगवान के विभिन्न रूपों के कपड़े पहने हुए देखा जाता है। लोगों की अंध आस्था और विश्वासों के चलते, ये बच्चे विशेष रूप से त्योहारों के समय या वर्ष के उन महीनों में, जब लोग देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विभिन्न वस्तुओं का दान करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। भीख मांगने के इस अज्ञात या अनजान रूप के भी गंभीर परिणाम होते हैं। बच्चे, उनके परिवार (उन मामलों में जहाँ यह गरीबी और पैसे कमाने का कोई जरिया न होने के कारण भीख माँगना एक पारिवारिक व्यवसाय होता है) और तस्कर /भिखारी माफिया इस तरह के आयोजनों और धार्मिक महीनों का इंतजार करते हैं। चूंकि वे इसे कमाई के एक जरिए के रूप में देखते हैं, इसलिए बच्चों को अच्छा जीवन जीने, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, स्वस्थ खाने, दूसरों के बीच में रहने से वंचित कर देते हैं।

हालाँकि, भीख मांगना एक अपराध माना जाता है लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि देश में इस अभिशाप को रोकने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधान नहीं हैं। इसलिए, समाज के लोगों, गैर–सरकारी संगठनों, बच्चों के लिए काम करने वाले अन्य संगठनों आदि का सक्रिय होना और उपचारात्मक उपाय करना और भी आवश्यक है।

बाल भिक्षा (चाइल्ड बैगिंग) से संबंधित कानून /विनियम

हालांकि देश भर में विभिन्न स्थानों पर भीख मांगना एक अपराध है, फिर भी भारत में ऐसे कानून नहीं हैं जो विशेष रूप से भीख मांगने को अपराध की श्रेणी में रखते हों। हालाँकि, देश में कुछ राज्यों द्वारा निरोधक अधिनियम, 1959 को व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) के रूप में अपनाया जाता है। इसका कारण बाल भिक्षा (चाइल्ड बैगिंग) से संबंधित कोई केंद्रीय कानून का न होना है। ज्यादातर राज्यों में, या तो बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959 को अपनाया गया है या राज्यों ने इसी के आधार पर अपने कानून बनाए हैं।

बाल भिक्षा (चाइल्ड बैगिंग) को लेकर विशेष कानून नहीं होने के बावजूद कुछ कानूनी प्रावधान हैं जो बच्चों को भीख माँगने के पेशे में पड़ने से रोकते हैं। ऐसे प्रावधानों में से एक है बाल अधिनियम, 2015 के किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) की धारा 76। इसके अनुसार, बच्चों से भीख मंगवाना एक दंडनीय अपराध है जिसके तहत पाँच साल तक की जेल या एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है [2]।

एक अन्य कानूनी प्रावधान जो भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 144 है, बच्चों को भीख मांगने और फेरी (हॉकिंग) करने को प्रतिबंधित करता है। सरकारी लाइसेंस के बिना, रेलवे के किसी भी हिस्से में या किसी भी चीज को बेचना प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर एक साल तक की जेल या मौद्रिक जुर्माने का प्रावधान है[3]।

भारतीय दंड संहिता की धारा 268 में भीख मांगने को सामान्य रूप से लोगों को परेशान करने या चोट पहुँचाने के कारण के रूप में देखा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो भीख मांग रहा है, अगर किसी भी प्रकार की चोट, परेशानी, असुविधा, अनुचित व्यवहार का कारण बनता है, तो वह सार्वजनिक उपद्रव का दोषी है। जिन हालातों में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं, उन पर यह कानून लागू किया जा सकता है। हालांकि, यह कानून विशेष रूप से बाल भिखारियों (चाइल्ड बेगर्स) पर लागू नहीं होता है।

---

[2] https://www.streetchildren.org/legal-atlas/map/india/status-offences/is-it-illegal-for-children-to - beg/#:~:text=Law%20and%20Policy%20on%20Child%20Beggars&text=Section%2076%20of%20the%20Juvenile,a%20fine%20of%20100%2C00 %20rupees.

[3] https://www.streetchildren.org/legal-atlas/map/india/status-offences/is-it-illegal-for-children-to-beg/#:~:text=Law%20and%20Policy%20on%20Child%20Beggars&text=Section%2076%20of%20the%20Juvenile,a%20fine%20of%20100%2C000%20rupees.

बाल भिक्षावृत्तिः एक अभिशाप

कप्तान सिंह

बाल भिक्षावृत्ति आज हमारे देश की ज्वलंत समन्याओं में से एक है। "बाल भिक्षावृत्ति" हमारी व्यवस्था, समाज व संवेदना की उस नकारात्मक, आपराधिक मानसिकता का ही मूर्त रूप है जो एक तरफ़ आर्थिक प्रगति का ढिंढोरा पीटते हैं तो दूसरी ओर अन्याय एवं बाल कल्याण जैसी अवस्थाएं उत्पन्न करने के कारण हैं। देश में बाल भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने के कई सामाजिक–आर्थिक कारक हैं। गरीबी, बेरोज़गारी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि एवं अल्प आयु में अनाथ हो जाने के कारण बाल भिक्षावृत्ति जैसा कलंक हमारे देश के माथे पर लगा हुआ है। घोर दरिद्रता, कम मजदूरी, पिछड़ापन एवं कृषि में अनियमितता के कारण गरीब माता–पिता अपने बच्चों को रोज़ी–रोटी कमाने के लिए खुली सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिनमें से कई बच्चे असामाजिक तत्वों के हाथों में पड़ जाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 48,000 बच्चे गायब हो जाते हैं जिनमें से अधिकांश को अपराध की दुनिया में या अपाहिज जैसा घिनौना कृत्य करके बाल भिक्षावृत्ति में धकेल दिया जाता है। देश की इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए भीख माफियाओं के विरुद्ध एक विशेष कानून की आवश्यकता है एवं सरकार द्वारा 'बच्चे पढ़ाओ और बचपन बचाओ' जैसी थीम पर कार्य करते हुए समाज में विशेष जागरुकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

"यदि हम बचपन लौटा नहीं सकते हैं तो हमें छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है"

अंततः विभिन्न कानूनों के साथ साथ स्वैच्छिक संगठन भी इस सामाजिक विषमता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

कप्तान सिंह
पुलिस निरीक्षक
राजस्थान पुलिस अकादमी
जयपुर

केस स्टेडी

केस स्टडी – 1

11 साल के राकेश कुमार को, पंडित नवलकिशोर चौराहा ट्रैफिक सिग्नल, जयपुर के पास भीख मांगते हुए देखा गया था। जब उससे बात की, तो उसने बताया कि वह पानी की बोतलें बेचकर पैसे मांगता है। वह अपनी मर्ज़ी से भीख मांगता है और कभी किसी ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने यह भी बताया किया कि वह अपने माता–पिता और तीन बहनों के साथ रहता है और उनकी ज्यादातर रातें सड़कों पर सो कर गुजरती हैं। जब उससे उसके स्थायी पते के बारे में पूछा गया, तो उसने बताया कि उसका परिवार राजस्थान के करौली जिले का रहने वाला है। राकेश एक दिन में 200–250 रुपये कमा लेता है। यह वो पैसे हैं जो वह पानी की बोतलें बेचकर और भीख मांगकर कमाता है। उसने बताया कि उसके पिता बेरोजगार हैं और वह कुछ भी नहीं करते हैं जबकि उसकी मां और बहनें भीख मांगती हैं। भीख मांगना उसके

लिए मुश्किल काम था, लेकिन चूंकि उसे परिवार के लिए कमाना पड़ता है, इसलिए वह बहुत खराब मौसम मेंभी भीख माँगने जाता है। उसने कभी कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। न तो वह, और न ही उसकी कोई बहन कभी स्कूल गईं। वह खुश है कि उसे रोजाना खाने के लिए भोजन मिल जाता है और वह खाली पेट नहीं सोता है,लेकिन ज्यादा गर्मी और सर्दी के मौसम में सड़क पर सोना एक बड़ी चुनौती है और उसे कीड़े भी काटते हैं। जब उससे पूछा गया कि सारा पैसा कहां जाता है, तो उसने बताया कि अपनी सारी कमाई वह अपनी मां को सौंप देता है और अपने साथ एक पैसा भी नहीं रखता है और न ही वह अपनी मां से पैसे खर्च करने को लेकर सवाल करता है।

केस स्टेडी – 2

फरहान को पिंक स्क्वायर मॉल के पास भीख मांगते हुए पाया गया। जब उससे उसकी उम्र के बारे में पूछा गया, तो उसने बताया कि उसकी उम्र 12 साल है। फरहान ने चौथी कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई की है, लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि न तो उसकी पढ़ाई में कोई रुचि थी और न ही उनका परिवार उसकी शिक्षा का खर्च उठा सकता था। फरहान ने कहा कि वे अहमदाबाद, गुजरात का रहने वाला है। जब उससे पूछा गया कि वह अभी कहाँ रहता है, तो उसने बताया कि उसका परिवार सड़क पर रहता है और उनके पास रहने को कोई घर नहीं है। वह भीख मांग कर एक दिन में लगभग 50–60 रुपये कमाता है और सारा पैसा अपने माता–पिता को सौंप देता है। उसने यह भी बताया किया कि उसे एक बार नवल किशोर चौराहा, जयपुर के पास भीख मांगते हुए पकड़ा गया था लेकिन उसके माता–पिता के आने पर उसे छोड़ दिया गया था। उसने बताया कि भीख मांगना विशेष रूप से गर्मियों में बहुत कठिन काम है और यहां तक कि सड़कों पर सोना बहुत मुश्किल है। बारिश का मौसम उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके पास सर छिपाने की कोई जगह नहीं है।

इंदु रानी सिंह
प्रयास जेएसी सोसायटी, जयपुर

तिमाही की गतिविधियाँ

बाल श्रम पर आईईसी सामग्री का अनावरण समारोह

केंद्र ने बाल श्रम पर सूचनात्मक, शैक्षिक और जागरूकता पैदा करने वाली सामग्री तैयार की है। इसी का अनावरण समारोह 14 सितंबर, 2020 को बाल संरक्षण केंद्र, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में किया गया था। माननीय निदेशक– आरपीए, श्री राजीव शर्मा (आईपीएस), श्री नीरज के पवन (आईएएस), श्रम सचिव, श्री बिपिन कुमार पांडे (आईपीएस), आईजी मानवाधिकार, श्री प्रतीक झाझरिया (आईएएस), श्रम आयुक्त, श्री रवि प्रकाश, कार्यक्रम सलाहकार–फ्रीडम फंड, ने अपनी प्रतिष्ठित उपस्थिति के साथ इस अवसर का मान बढाया और आईईसी सामग्री का अनावरण किया। आयोजन में इस बात को लेकर विचार साझा किए गए कि कैसे बच्चों की अतिसंवेदनशीलता को कम किया जा सकता है और धीरे–धीरे समाप्त किया जा सकता है, और उन्हें कैसे बाल श्रम (चाइल्ड लेबर) के जाल में फंसने से रोका जा सकता है।

सीसीपी वेबसाइट पर कोविड कॉर्नर बटन का शुभारंभ

वर्तमान के कोरोना समय को ध्यान में रखते हुए, सीसीपी वेबसाइट पर एक बटन लॉन्च किया गया है। इसमें कोरोना वायरस महामारी, सुरक्षा उपायों और संबंधित आईईसी सामग्री के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी दी गई है। इसमें श्री राजीव शर्मा, निदेशक–बाल बाल संरक्षण केंद्र, राजस्थान पुलिस अकादमी और श्री नीरज के पवन, श्रम सचिव, जयपुर के वीडियो संदेश भी हैं जो बच्चों से संबंधित मुद्दों पर शिक्षित करेंगे। इसमें सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश और बाल संरक्षण से संबंधित संसाधन भी हैं। इन संसाधनों और जागरूकता सृजन सामग्री को आम लोगों और बाल संरक्षण पदाधिकारियों की आसानी के लिए उपलब्ध कराया गया है।

''बच्चों के अधिकार और कोविड-19 महामारी'' पर वेबिनार

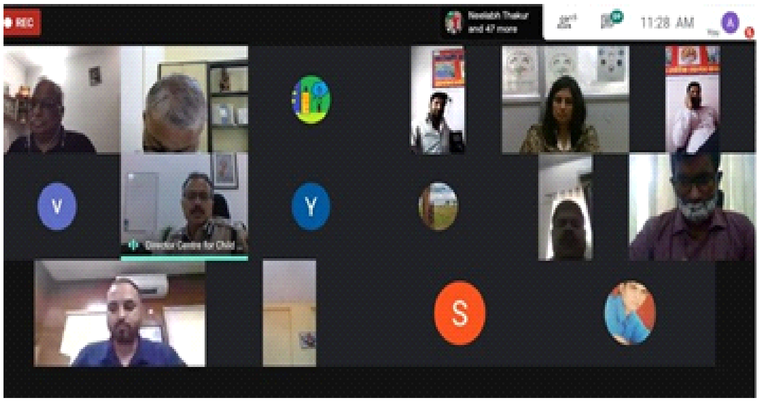

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर बाल संरक्षण केंद्र, जयपुर, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा और यूनिसेफ के संयुक्त सहयोग से 'बाल अधिकार और कोविड –19 महामारी' पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार की मुख्य अतिथि श्रीमती संगीता बेनीवाल थीं, अध्यक्ष–आरएससीपीसीआर और सम्मानित अतिथि श्री राजीव शर्मा (आईपीएस), निदेशक बाल संरक्षण केंद्र,जयपुर थे। वेबिनार में प्रमुख रिसोर्स पर्सन सुश्री सुतापा सान्याल, पूर्व डीजीपी, उत्तर प्रदेश, डॉ हेलेन आर सेकर, वरिष्ठ संकाय, वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली और श्री संजय निराला, बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ–राजस्थान थे। बाल संरक्षण केंद्र, जयपुर के वरिष्ठ सलाहकार डॉ राजीव गुप्ता ने वेबिनार में एक परिचयात्मक (शुरूआती) भाषण दिया। उन्होंने सभी सत्रों को संक्षेपित किया और बच्चों के समग्र कल्याण और विकास के लिए उन्हें अधिकार प्रदान करने का आग्रह व्यक्त किया।

स्वतंत्रता दिवस समारोह

15 अगस्त, 2020 को भारत का 74 वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। माननीय निदेशक– आरपीए श्री राजीव शर्मा (आईपीएस), एडीजी पुलिस, ने राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में झंडा फहराया। राजस्थान पुलिस अकादमी, सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन और सेंटर फॉर पीस एंड कनफ्लिक्ट स्टडीज के सभी कर्मचारी ध्वजारोहण और उत्सव में उपस्थित थे।

''बाल श्रम से बचाये गए बच्चों की काउंसलिंग''पर परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण

13 अगस्त, 2020 को शास्त्री नगर बाल मित्र (चाइल्ड फ्रेंडली) पुलिस स्टेशन, जयपुर में सीसीपी द्वारा गठित काउंसलरों के पैनल के साथ एक बैठक व प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। काउंसलरों को परामर्श के तरीकों, बाल श्रम से बचाए गए बच्चों से बर्ताव करने के तरीके, पालन करने की प्रक्रिया, पुनर्वास संबंधी प्रक्रिया आदि के बारे में प्रशिक्षित किया गया, कुल मिला कर इसका उद्देश्य बच्चों के समग्र लाभ के लिए परामर्श/काउंसलिंग को प्रभावी बनाना था। काउंसलरों ने बच्चों के साथ बर्ताव करने, परामर्श देने/काउंसलिंग करने और बचाए गए बच्चों के सर्वोत्तम हित में उनके द्वारा की गई पहल के अपने अनुभवों को भी साझा किया। सीसीपी टीम के सदस्य, फ्रीडम फंड टीम और लगभग दस काउंसलरों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया।

Twitter: https://twitter.com/CCP_jaipur Facebook: https://www.facebook.com/Cenreforchildprotection/

'सेतु' सलाहकार बोर्ड

डॉ. राजीव गुप्ता
पूर्व प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
अध्यक्ष, सेतु सलाहकार बोर्ड व
वरिष्ठ सलाहकार–सीसीपी

डॉ. संजय निराला
बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ

डॉ. मंजू सिंह
विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान विभाग,
वनस्थली विश्वविद्यालय

श्री राधाकान्त सक्सेना
आईजी कारावास (रिटायरर्ड)

संपादक
अदिति व्यास
कन्सल्टेंट–रिसर्च एंड डॉक्युमेंटेशन, सीसीपी जयपुर

योगदान व सहयोग
सीसीपी टीम

हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों के संबंध में अपने ज्ञान में बढ़ोत्तरी करने के लिए बाल संरक्षण का एक अल्पकालीन कोर्स करें।
सीसीपी के बारे में और सेंटर द्वारा प्रस्तावित कोर्सेज़ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाईट देखें:
http://www.centreforchildprotection.org
आप हमें इस नम्बर पर संपर्क कर सकते हैं : +91 8619672924/0141–2300758
हम अपने पाठकों से भी बाल संरक्षण विषय से जुड़े आर्टिकल, लेख, केस स्टडीज़, सफलता के किस्से, सुझाव इत्यादि आमंत्रित करते हैं। कृपया अपनी प्रविष्टियाँ आप इस ईमेल पते पर भेजें : writetoccpjaipur@gmail.com